

By Regd. Post

From,

S. S. Gautam,
Deputy Registrar(M),
High Court of Judicature at,
Allahabad.

To,

The Additional Director (Treasuries),
Camp Office, New Treasury Building,
Kutchery Road, Allahabad.

70 No. 4295 /IV-3707/Admin.(A) dated 27-3-2014

Subject: Sanction of personal pay under Voluntary Family Planning Programme to Sri Kailash Kumar, Civil Judge (Jr. Div.), Kairana, Muzaffarnagar.

Sir,

I am directed to send herewith an attested copy of court's order dated 20.03.2014 sanctioning personal pay under Voluntary Family Planning Programme equal to one increment or as fixed vide G.O. no. 650/II-4-2013-9Sa/2012 dated 02.07.2013 as amended time to time, with effect from 27.12.2011 to Sri Kailash Kumar, Civil Judge (Jr. Div.), Kairana, Muzaffarnagar, on the above subject and to request you kindly to issue necessary authority in favour of Sri Kailash Kumar, at an early date, under intimation to this Court.

Yours faithfully

Encl. an attested copy of Court's order dated 20.03.2014.


25.3.14
Deputy Registrar

71 No. 4296 /IV-3707/Admin.(A) dated 27-3-2014

Copy alongwith attested copy of Court's order dated 20.03.2014 forwarded for information & necessary action to:


1. The District Judge, Muzaffarnagar with reference to his endorsement no. 223/XV-09/2012 dated 12.02.2014.
2. Sri Kailash Kumar, Civil Judge (Jr. Div.), Kairana, Muzaffarnagar.
3. The Treasury Officer, Muzaffarnagar.


Encl.-an attested copy of Court's order dated 20.03.2014.



25.3.14
Deputy Registrar

S.O. /A.R. (Admin. A-D) D.R. (M)

Approval of Hon'ble Mr. Justice S.K. Singh placed below.
May like to see?


24.03.2014
A.R.O.


25/03/14


25-03-14
AR

Serial
6-7-13
Total-2 Page

संख्या-650/दो-4-2013+9ज0/2012

प्रेषक,
राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में
महानिबन्धक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

209
Registrar No
File No
wf-82
56
A.K.
11.7.13

8
8.7.13

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: 02 जुलाई, 2013.

विषय:- उत्तर प्रदेश राज्य की अन्य सेवाओं की भौति उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा एवं उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा विभाग के शासनादेश संख्या-4601/16-11-79-9-155-99, दिनांक 23-02-1980 द्वारा स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-जी-2-1985/दस-2008-339/2008, दिनांक 11-12-2008 द्वारा सरकारी सेवकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड पे के आधार पर 01 दिसम्बर, 2008 से स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमन्य वैयक्तिक वेतन की पुनरीक्षित दरें निर्धारित की गयी हैं।

3- उत्तर प्रदेश राज्य की अन्य सेवाओं की भौति उपरोक्त उल्लिखित शासनादेशों में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा एवं उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवाओं के अधिकारियों को स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न तालिका के अनुसार वैयक्तिक वेतन की सुविधा की अनुमन्यता तात्कालिक प्रभाव से प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान	सादृश्य ग्रेड पे	वैयक्तिक वेतन की पुनरीक्षित धनराशि (रुपये)
1-	सिविल जज (जू०डि०)	27,700-44,700	5400	550
2-	सिविल जज (सी०डि०)	39,530-54,010	7600	750
3-	जिला जज	51,550-63,070	10,000	1,000

4- इस सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या-4601/16-11-79-9-155-99, दिनांक 23-02-1980 व समय-समय पर निर्गत शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। शासनादेशों की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- G(2)491/X/13, दिनांक 20-06-2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव

2

1988

So Adm H/A

D. R. M.
04-7-13

DR (M)

Repr. (B)
3-7-13

Registrar (B)

R.G.
03/07/2013

संख्या-650(1)/दो-4-2013-9ज0/2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- (2) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (4) प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (5) प्रमुख सचिव, चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (6) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(योगेश्वर राम मिश्र)
विशेष सचिव